AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (P): 2582:8800 | A Peer reviewed| Annually| Open Accsess & Indexed
Volume 02 | Issue 01| July 2021| ***www.agpegondwanajournal.co.in*** |Page No. 77-84

गोंड गणोंके समाजिक कानून में गोंड स्त्रीयों को सांपत्तीक अधिकार और न्याय

डॉ. विक्रांतशहा आत्राम
संशोधक व प्राचार्य
सेंट.अल्फोन्सा पब्लिक स्कूल वरोरा, जि.चंद्रपूर, महाराष्ट्र राज्य

प्रस्तावना:

गोंड गणसमूह यह अतिप्राचिन अनार्य व्यवस्था का भाग रहा है। पाषण अवस्था से आधुनिक युग में भी इस समाज में अपने परिवार में माता का स्वतंत्र दर्जा रहा है। आर्य व्यवस्था मे पुरुष प्रधान संस्कृती वर्तमान के 21 वे शताब्दी में भी चल रही है जो सिर्फ पुरुषों के अधिकार को मान्यता देती है । अंग्रेज (ब्रिटेन) सरकार का जब इस देशपर साम्राज्य था तब स्वदेशीय समाज सेवकोने माँग उठाकर पुरुष प्रधान संस्कृती से होने वाले स्त्रीयोंपर अत्याचार दूर करने की कोशिश की जिस में ब्रिटीश सरकारने सती प्रथा निमुर्लन, स्त्री शिक्षा, पुरुषों के बराबर दर्जा और हक देने के लिये ब्रिटीश इंडिया मे कानून बनवाकर स्त्रीयोंपर होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश की है । इससे यह होता है की, इस देश में स्त्रीयोंपर अन्याय और अत्याचार होते रहा है। इस प्रकार का अन्याय विषेशतः पारिवारीक संपत्ती के बारे मे गोंड गण समाज के स्त्रियोंपर ना हो इसपर हम अपना लक्ष केंद्रित करते हैं। जिस समाज में मातृप्रधान संस्कृती का चलन है उस समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय स्त्रियोंपर नहीं हो सकता परंतू किसी दूसरे धर्म रिती रिवाजों के प्रभाव मे आने से उनके विचारों के प्रेरणा से अगर गोंड गण समूह अपने पारिवारीक संस्कार एवंम रितीरिवाज एवं सामाजिक कानून के बाहर जाकर किसी प्रकार का अन्याय और अत्याचार का प्रयोग करता है तो वह और उसके साथीदार या उसके विचारों से प्रेरित समूह समाज को अवश्य हानी पहुंचा सकते हैं। या पुरुष प्रधान संस्कृती की विचारधारा के तरफ समाजको परिवर्तीत करने का प्रयत्न करते है। ऐसी अवस्था मे हम गोंडगण समाज के व्यवस्थापर अध्ययन करते समय विद्वानों को अवश्य जागृत और सतर्कता से सजग रहने की नितांत जरुरत है। जिससे उनके (गोंड) सामाजिक ढांचे को समझने मे और उसका अध्ययन करने मे हमें साहयता मिलेगी। इस अध्ययन में हम विशेष कर गोंड महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवंम धार्मिक स्थिती को समझना आवश्यक होता है। प्रस्तुत अध्ययन मे

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
डॉ. विक्रांतशहा आत्राम प्राचार्य सेंट. अल्फोन्सा पब्लिक स्कूल वरोरा, पिन- 442907, जि.चंद्रपूर, महाराष्ट्र राज्य **Email:** vikrantshah.atram@gmail.com	

निम्न साहित्यों मे से इस गोंडी समाज की व्यवस्था पर अध्ययन किया है और तब जाकर निर्णयों पर अपने विचारों को अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया है।

अध्ययन के उद्देश:

उपरनर्देषित गोंड गणों के सामाजिक कानून में गोंड स्त्रीयोंको सांपतिक अधिकार और न्याय इस विषय पर प्रस्तुत अध्ययन किया है और इसका उद्देष यही है की,

1) गोंड समाज मे गोंड स्त्रीयों को उनके परिवारीक अधिकार और न्याय की जानकारी अवश हो ताकी उनपर सामाजिक और पारिवारीक किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहीये!

2) इन गोंड महिलाओं का शोधन ना हो और उन्हें उनके मातृप्रधान संस्कृती के तहत यथा सन्मान और सामाजिक दर्जा मिलते रहे यही उद्देष है।

3) गोंड गणोंके समूहों मे मातृप्रधान संस्कृती की तहत परिवार का पूरा अधिकार एवंम पारिवारीक जिवन में आर्थीक विनिमय करने का अधिकार रहे यह उददेष है।

4) वृद्धावस्थामे या पति के निधन के बाद गोंड गणों मे स्त्रीयोंको आर्थिक विवंचना से पिडीत ना होना पडे इसका अधिकार उन्हें मिलना चाहीये यह उद्देष है।

इस प्रकार चार प्रकार के महत्वपूर्ण उद्देष पर हम अध्ययन कर रहे हैं। जो गोंड गणोंके प्राचिन पारिवारीक व्यवस्थामे मातृप्रधान व्यवस्था थी उसमे उसे पारिवारीक दर्जा, सामाजिक जिवन दर्जा तथा आर्थिक व्यवस्था में दर्जा प्राप्त था।

अध्ययन पध्दती:

अनुसंधान एवं शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधी है। जिसके व्दारा नये तथ्यों की खोज तथा पूराने तथ्यों की पूष्टी की जाती है। इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य के लिए अनुसंधान कर्ता ने व्दितीय तथ्य संकलन विधी का उपयोग किया है। व्दितीयक तथ्य संकलन विधी में सरकारी अहवाल, प्रकाशित शोध प्रबंध, अध्ययन विषय से सम्बधीत प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेख, संदर्भ ग्रंथ, वर्तमान पत्र, वेबसाईट आदि साधनों का उपयोग करके तथ्यों का संकलन किया गया है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले गये है।

पूर्व साहित्य का परिक्षण:

1) गोंडस ऑफ अदिलाबाद (फ्यूरर ख्रिस्टोफ हॅमनड्राफ)

2) ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ (गोडराजे डॉ. बिरशहा आत्राम)

3) कोयापुनेम - गोडीधर्म दर्शन (डॉ. मोतीराम छत्तिराम कंगाली)

4) माडीया गोंड स्त्रीयांचा बदलता सामाजिक दर्जा (शोध प्रबंध-डॉ. विनायक श्रीराम इरपाते. नागपूर)

1) गोंडस ऑफ अदिलाबाद या गोंडस ऑफ आंद्रप्रदेश के लेखक फ्यूरर ख्रिस्टोफ हॅमनड्राफ ने अपने किताबों मे गोंड समाज की महीलाओं के बारे मे जो जानकारी दी है वह गोंड और इनके 47 गण समूहों के महिलाओं के दर्जे में उनकी सामाजिक स्थिती का दर्षन न के बराबर है। उन्होंने अपने लिखान में बहोतसी अवांतर कहानीयाँ जो उन्होंने इन गोंडी जनता से पारंपारिक मुहबोली यादों से ली है परंतू यह स्पष्ट नहीं किया की गोंड और उनके 47 उप शाखाओं की संस्कृती मे महिलाओं का प्राचीन दर्जा क्या था। इससे इन किताबों से गोंड संस्कृती के तथा उनके पारिवारीक जिवनदर्षन के अध्ययन में गतीरोध पैदा होता जिससे महीलाओं की सामाजिक स्थिती स्पष्ट नही होती है।

2) डॉ. मोतीराम छत्तिराम कंगाली (नागपूर) इन्होंने "कोयापूनेम - गोंडीधर्म दर्शन" इस किताब मे गोंडगण और उनके 47 उपशाखाओंकी महिलाओं के बारे में आधिकारीक तौर पर महिलाओं को गौण (दुय्यम) स्वरूप दिखाया गया है। इतना ही नहीं उनके पिता के आय के हिस्सेदारी मे किसी भी प्रकार का अधिकार देने में नकारात्मक संदर्भ दिखाया गया है। जो इस गोंडी संस्कृती की महिला प्रधान याने मातृसत्काक पद्धती को विरोध दर्शाता है और गोंड गण महिलाओं के दर्जेको उभारने मे नकारता है। यह भयावह स्थिती को स्पष्ट करता है। डॉ. मोतीराम कंगाली इन्होंने लिखे इस किताब में स्त्रियों को दर्जा हीन दिखाया गया है इससे गोडं गणों के 47 उपशाखाओं का नुकसान हो सकता है ! गोंड गणों के स्त्रियों को सामाजिक दर्जा प्राप्त होने से इनके स्पष्टीकरन से रोका गया है। पारिवारीक स्थिती मे पुरुष प्रधान संस्कृती को बलवान बनाया गया है और स्त्रियों को हिंदू संस्कृतीनुरूप हिन दिखाया गया है।

उदाहरन :1) गोंड गण परिवार मे अगर लड़का पैदा नहीं हुवा है और सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा हवी है और उनकी आर्थिक स्थिती विपन्नावस्था में है। तो ऐसे हालात मे डॉ. कंगाली के कहे मुताबकि पिता की संपत्ती गोंड समाज को दान दी जाय और उस परिवार की लड़कियों को नरक का जिवन बिताने के लिये मजबूर किया जाय? यह तर्क तथ्यहिन है। जो गोंड गणों के मातृसत्ताक पद्धतीको हानी पहुंचाकर गोंड स्त्रियोंके दर्जे को गतीरोध पैदा करता है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तव्य से गोंड गण और उसके 47 उपशाखाओं के महिलाओं पर यदी अत्याचार होता है तो ऐसे लिखान करने वाले की महिलाओं के बारे मे क्या सोच होगी, वह महिलाओं के भविष्य के बारे मे समाज को किस तरह की राय देकर मार्गदर्शन करता हो इसका विचार करने पर गोंड समाज का आधुनिक जीवन और भविष्य मे नैतिक दर्जेका अवमुल्यन किया जायेगा यह स्पष्ट होता है। " कोयापूनेम गोंडी दर्शन" यह डॉ. कंगाली की किताब गोंड गणों के समाज का स्त्रीयोंका दर्जा बढ़ाने में असमर्थ दिखाई देती है। सारांश अगर इस किताब का निकाला जाय तो यह गोंड गणों के स्त्रियों के लिये हानीकारक सिद्ध हो सकती है। इसपर समाज का अध्ययन क्या है यह तो वही जाने। कोई समान इस दुनियाँ मे अपनी बेटीयों के अधिकारों को नष्ट करने की सोच भी नही सकता। अपने ही समाज की बेटीयोंका आर्थिक उत्पीडन करना और साहित्यों के द्वारा समाज मे उसे गैरव्यवहार करने के लिये प्रवृत्त करना यह कहां का न्याय है? गोंड गणों और उनके 47 उपशाखाओं मे फैले लोग यह अशिक्षित और कायदे के जानकारीयों से अज्ञानी है और उनमे यह गैर तरिके से भ्रम पैदा करना कितना हानी कारक है यह संज्ञान लेखक डॉ. मोतीराम कंगाली लिया नहीं यह

सोचने की बात है। इसलिये इस संशोधीत लेख मे " कोयापूनेम गोंडीधर्म दर्शन" इस किताब में लिखे कथन यह गोंड समाज के लिये हानीकारक साबित होते है।

3) ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ - अखिल भारतिय गोंडी धर्म संसद व्दारा प्रकाशित इस किताब के लेखक चांदागड (चंद्रपूर, महाराष्ट्र राज्य) प्राचिन दक्षिण गोंडवाना की राजधानी के गोंडराजे डॉ. बिरशहा कृष्णशहा आत्राम द्वारा संशोधित किताब जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court Delhi) तथा सभी राज्यों के हायकोर्ट (Highcourt) और दिवानी कोर्ट तथा रेवेन्यू कोर्ट के कमिशनर, कलेक्टर और तहसिलदार, नायब तहसिलदारों के कोर्ट मे अनुसूचित जनजाती के सूची में आने वाले गोंड और उनके 47 उपशाखाओं के गुन्हेगारी, सामाजिक, धार्मिक, प्रकरणों के न्याय दिलाने में सक्षम पायी गयी है। इस कायदे के किताब मे पृष्ठ 19 से 30 पन्नोपर गोंड स्त्रीयों विवाहीत या अविवाहीतों को उनके मिलने वाले अधिकार और सामाजिक दर्जे का विस्तारसे विवरण और अधिकार दर्शाये गये है। गोंडी कानून के इस किताब द्वारा गोंड गण और उनके 47 उपशाखाओं के स्त्रियोंको दिया गया अधिकार और सामाजिक दर्जा यह द्रविडीयन "मातृसत्ताक" अधिकार प्रणाली को मान्यता देता है और गोंड समाज के विवाहीत, अविवाहीत या विधवा स्त्रीयों को न्याय प्रदान करता है। इसलिये इस संशोधीत गोंडी कानून को अखिल भारतिय गोंडी धर्म संसद द्वारा और गोंडी लॉ बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान कर उसे भारत के सभी न्यायालयों के लायब्ररी में और गोंडी जनता को किताब के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

प्राचिन गोंडवाना राज्य की स्थापनासे और भारत की स्वतंत्रता के 75 साल तक किसी भी गोंडराजाने अपने गोंड समूहों के लिये इतनी महत्वपुर्ण और फायदेमंद कायदे की किताब नही बनाई। इस लिये इस गोंडी कानून के लेखक गोडराजा डॉ. बिरशहा आत्राम (चांदागड संस्थानिक, महाराष्ट्र) का गौरव और सन्मान किया जा रहा है। उन्हीं की प्रेरणा एवंम मार्गदर्षन से पूरे भारत के गोंड गणोंके स्त्रियों को उचित सन्मान और न्याय मिल रहा है। 'ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ' इस किताब व्दारा भारत वर्ष मे गोंड गण स्त्रियों को समानता, सन्मान और अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिये यह किताब सर्वथ: प्रशंसनिय तथा गोंड गणों के उपशाखाओं को 21 वी सदी मे अन्यधर्मों के बराबर उचित स्थान, सन्मान और न्याय दिलाने में सक्षम हूवी है।

4) माडीया गोंड स्त्रीयांचा बदलता सामाजिक दर्जा (शोध प्रबंध - डॉ. विनायक श्रीराम इरपाते, नागपूर) इनके अध्ययन की समिक्षा करने पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया की, गोंडगण समुदायों के माडीया गोंड महीलाओं का बदला हुवा दर्जा क्या है। संशोधक और नये पिढीके अध्ययनकर्ताओं को इनके प्रबंध शिर्षक के अनुरूप उनके प्रबंध मे मान. कै.विनायक इरपाते का अपना खुदका तजुर्बा और मत स्पष्ट नही कर पाये है। वें दुसरे लेखकों के अध्ययन के बारे में उनके मतों को स्पष्ट करते रहे। इनके प्रबंध का स्पष्टीकरन, यह महिलाओं के दर्जे मे क्या बदलाव हुऐ है इसके बारे मे स्तब्द है अपने विचारों पर उन्होंने गुप्तता रखी है। इससे यह प्रबंध एक 'पदवी' प्राप्त करने के समान प्रतित होता है।

अध्ययन विश्लेषन:

पुर्वसाहित्य के अवलोकन से जो बाते सामने आयी उसपर हम विश्लेष्नात्मक विचार संशिप्त में करेंगे। देखा जाय तो यह विषय और उसका अध्ययन संक्षिप्त में करना यह कठीण कार्य है क्योंकी यह विषय विस्तृत है और उसका अध्ययन भी बेहद कठीण कार्य है।

'ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ' इस किताब मे जो गोंड गणोंको अविवाहीत, विवाहीत और विधवा स्त्रीयों के लिये दिये अधिकार पर विश्लेषन कर रहे है। 'कोयापूनम गोंडीधर्म दर्शन' लेखक डॉ. मोतिराम छत्तिराम कंगाली व्दारा लिखे किताब मे गोंडी सामाजिक जिवन मे स्त्रियों को उनके पिता के साम्पतिक अधिकार से वांचित करने की बात कथन की गयी है। जिससे 21वी सदी मे यह कितनी हानीकारक बात है यह सिद्ध होता है, कोयापूनेम गोंडीधर्म दर्षन किताब गोंडगणों के स्त्रियों को पुरुषों से निचले स्तर का मानती है। स्त्रीयोंको समान दर्जेका अधिकार प्रदान नहीं करती। उनके पारिवारीक जिवन को अंधकारमय करती है। उन्हे असहाय्य, बेबस और लाचार बनाती है जो आसानी से गैरोंके या खूद के परिवार में अन्याय और अत्याचार की शिकार हो सकती है इतना ही नहीं वह पुरुष प्रधान विचारोंकी भोगवस्तू बन सकती है। इतना बडा अनर्थ हो सकता है इसलिये यह सिद्ध होता है की "कोयापूनम गोंडीधर्म दर्शन" इस किताब का आयोजन तथा प्रकाशन गोंड और उनके 47 उपशाखाओं के लिये व्यर्थ साबित हुई है यह इस अध्ययन से स्पष्ट होता है।

अखिल भारतिय गोंडी धर्म संसद व्दरा प्रकाशित 'ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉं' के लेखक गोंडराजा डॉ. बिरशहा आत्राम (संस्थानिक यांदागड) चंद्रपूर इन्होने गोंड गण तथा उनके 47 उपशाखाओं के स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय को दूर करने के लीये और उनका आर्थिक उत्पीडन तथा पारिवारीक दर्जे के साथ न्यायीक अधिकार प्राप्त होने के लिये निम्न धाराऐं (articles) इस किताब मे दिये है।

1) In the Gondi religion faith is bride girl is a "Kulvadhu". (2/2/10) Faith section

2) If wife or husband is not satisfied from the character of each other. They have rights to take divorce. (2/3/1) Divorce section

3) Tending and property rights. (2/4/1 to 2/4/3) Tending section

4) Any person of Gond and its 47 branches donate our properties. (3/5/1 to 3/5/6)

पिछले चार मुद्दो मे 'कूलवधू', तलाक, भरनपोषन या देखभाल, स्थावर मालमत्ता (fixed assets or immovable) इनमे स्पष्ट रूप से गोंड गणों के 47 उपशाखाओं के स्त्रियों के विविध प्रकार के अधिकार देणे की सिफारीश की है और गोंडी कायदों से मान्यता दी है जिसका स्पष्टीकरन ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ किताब में किया गया है। गोंड गणोके 47 उपशाखाओंके परिवार की अविवाहीत, विवाहीत, विधवा स्त्रीयोंको उचित लाभ मिलने का प्रबंध लेखक ने समाजिक दर्जे के साथ स्त्रियों को दिलवाया है।

ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ - 2/2/10 'कुलवधू'

कुलवधू इस विचार पर गोंडी कायदा यह कहता है की, गोंड परिवार मे ब्याही जाने वाली स्त्री यह हिंदू संस्कृती के वैदिक धर्म मे दर्षाये "पुत्रवधू" को नकारता है और उस विवाहीत स्त्री को अपने कूल याने की गण वधू के रुप मे स्विकारता है। इसमे अगर उस परिवार के पुरुष की (ब्याही स्त्री के) पत्नी का देहांत हो जाय तो वह स्त्री अपने पती के छोटे भाई से सामाजिक रितीरिवाज से हरी चुडीया पहनकर शादी कर सकती है। जिससे उसको विधवा का दर्जा ना मिले और उस स्त्री को समाज या गैरसमाज मे अन्याय सहना ना पड़े। वह सदा उस गण या कूल की वधु बनकर अपना अधिकार बरकरार रख सके। यह सोच गोंड गण समुदाय मे है जिससे गोंड वधू की बदनामी ना हो और वह सर्वथा निर्दोष रहकर सामाजिक दर्जा प्राप्त करें। इस से यह स्पष्ट होता है की आखिल भारतीय गोंडी कस्टमरील लॉ किताब यह गोंड गणों के स्त्रियों का हक प्रदान कर सामाजिक दर्जे मे उचित सन्मान प्रदान करती है।

ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ - 2/3/1 'तलाक'

तलाक इस विचार पर गोंडी कायदा यर कहता है की, जिस प्रकार पुरुष स्त्रियों के गैर जिम्मेदाराना और अव्यायपूर्वक व्यवहार पर उसे तलाक देता है उसी प्रकार गोंड गण समुदायों की स्त्रीयों को भी उतना ही अधिकार दिया गया है की वह अपने पति के गैरजिम्मेदाराना बर्ताव एवंम अन्याय पूर्वक व्यवहार पर उसे छोड़ सकती है। उसे उतना ही समान अधिकार है। पुरुषों के दुर्व्यव्हार याने अपने औरत को मारपिट करना, भूखा रखना, बच्चों पर ध्यान न देना, वेश्यावृत्ती मे लगे रहना, गोंडसमाज के पारिवारीक संबंधों को नकारना इत्यादी बातों को गोंड न्याय पंचायत के सामने सिद्ध करने पर स्त्री को तलाक (Divorce) देणे का अधिकार है। गोंड समाज के पारंपारिक रितीरिवाज इस फैसले को पचांयत और अ.भा. गोंडी कस्टमरी लॉ मान्यता प्रदान करता है। परंतू ऐसी स्थिती मे गोंड समाज पंचायत पुरुष या स्त्री को दंडीतकर परिवार को सुरक्षित रखने में कारगर सिद्ध होती है। उस परिवार पर नियमीत जात पंचायत ध्यान रखकर फिर से ऐसी परिस्थितीयाँ न आये इसके लिये अपनी पैनी नजर रखती है। इससे स्त्रीयों को सामाजिक दर्जा एवंम अधिकार को बरकरार रखने मे साहयता मिलती है। स्त्री का जिवन सूसाध्य होता है।

ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ - 2/4/1 से 2/4/3 'भरणपोषण'

भरणपोषन इस विचार पर गोंडी कायदा यह कहता है की, स्त्रीयोंका इस समाज में भरणपोष तथा स्थिर मालमत्ता का क्या अधिकार है वह स्पष्ट किया गया। गोंडगण और उनके 41 उपशाखाओं के परिवार की अविवाहीत या कुलवधू या विधवा को इस कायदों के अनुलक्ष मे यह स्पष्ट किया गया है की, जिस परिवार मे वह स्त्री है चाहे वह लड़की हो कुलवधू हो या विधवा हो उसके भरणपोषण की व्यवस्था उस परिवार के उपस्थित सदस्य करते है या वह स्त्री भी रोजगार कर अपना स्वतंत्र भरणपोषन या अपने बच्चोंका भरणपोषण करती है। अगर कुलवधू के पती का निधन हुवा हो और उसके पती के छोटे भाई ने उसे स्विकारा ना हो तो भी वह स्त्री कुलवधू होने से सांपत्कि मामले मे अधिकारी होती है। क्योंकी जो संपत्ती है वह संपूर्ण परिवार की है जो अविभक्त है कुलवधू या कूल मे ब्याही नही गयी या विधवा को भी पती के संपत्ती का उपभोग लेने का अधिकार दिया गया है।

गोंड परिवार अपने कुलवधू को कभी भी संपत्ती से मालमत्ता से दूर नही कर सकता परंतु हां यह सत्य है की वह संपत्ती संपूर्ण कूल की होने से उसे वह बेच नही सकती उसका उपभोग सर्वथ: ले सकती है।

उसी प्रकार कुलवधू को उसके पिताने या उसके पतीने स्वतंत्र रूपसे भूमी या मकान दान मे कर दिया हो जो भारत सरकार के नियमों के तहत मालमत्ता नोंदनी कार्यालयों द्वारा नोंदनी कृत हो तो उस विधवा को अपने नामपर दान प्राप्त भूमी या मकान बेचनेका अधिकार होगा। इसे गोंडी कस्टमरी लॉ से मान्यता प्रदान की है क्यों की यह स्वतंत्रता से प्राप्त हुई उस स्त्री की संपत्ती है। परंतू परिवार में रही सामूहीक संपत्ती/मालमत्ता यह परिवार को सुरक्षीत जिवन प्रदान करने की कुंजी होने से परिवार का सदस्य उसका उपयोग लेने का सामूहीक हकदार है।

अविवाहीत गोंडगण परिवारों की लड़की शादी ब्याह होने पर वह दूसरे कुल याने गण की सदस्य बन जाने से सिर्फ पिताने दान दियी हुई भूमी या मकान या धनदौलत की ही वह हक़दार होती है ना की सामूहिक मालमत्ता की। शादीव्याह न होने वाली स्त्री को गोंडगण और उनके 47 शाखाओं के परिवार की भूमी, मकान मे सामाहिक भोग का अधिकार बरकरार रहेगा उसे किसी भी प्रकार से घर के बाहर निकाला नहीं जा सकता और ना ही उसके अपने पारिवारीक सामुहिक उपभोग से वंचित किया जायेगा यह एक जात पंचायत मे समाज गुनाह होगा।

ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ इस किताब के 3/5/1 से 3/5/4. इस विचार पर गोंडी कायदा उपर निर्देषित भाग के ही विचार को स्पष्ट करता है की, गोंडगण और उनके 47 उपशाखाओंकी स्त्रीयों को उसके गोंडी कायदे के मुताबिक अधिकार एवं सामाजिक दर्जे को बरकरार रख कर उसे न्यायीक हक्क प्रदान कर उसकी सुरक्षा करती है।

निष्कर्ष:

गोंडगणों के सामाजिक कानून में गोंड स्त्रीयों को सांपत्तिक अधिकार और न्याय इस विषय पर संशोधनात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस निवकर्ष पर पहुंचे है की, अखिल भारतिय गोंडी धर्म संसद व्दारा पारित और मान्यता प्राप्त तथा गोंडी लॉ परिक्षण समिती द्वारा परिक्षण करने के बाद ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ इस किताब में गोंडगणों के साथ उनके 47 उपाखाओं के स्त्रियों को जो अधिकार एंवम दर्जा दिया गया है वह कितना महत्वपूर्ण और न्यायीक है इस पर हमने अध्ययन कर पाठकों, वाचकों तथा संशोधकों के सामने संशोधित लेख प्रस्तुत किया है। उपरनिर्देषित अध्ययन से यह साबित होता है की, डॉ. मोतीराम छत्तिराम कंगाली (नागपूर) इन्होंने "कोयापूनेम - गोंडीधर्म दर्शन" इस किताब में स्त्रियों को विषेशत: गोंडगणों के स्त्रियों को सामाजिक दर्जा एवंम अधिकारों को नकारात्मकता (Negative) से प्रस्तुत किया है। जो गोंड गणों और उनके 47 उपशाखाओं के स्त्रियों के हितसंबंधों व अधिकारों मे बाधायें बना है तथा स्त्रीयों को दुय्यम दर्जे का स्थान दिया है। वह सिर्फ भोग वस्तू के रूप मे इन किताबों मे दिखाकर उनके याने गोंड समाजकी मातृसत्ताक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से नकारती है। ऐसे विचार वर्तमान समाज मे गोंड समाज को तुच्छता के रूप में प्रदर्शित कर समाज व्यवस्था को अर्थहिन एवं बदनाम करते है।

कोयापूनेम गोंडीधर्म दर्शन इस किताब के लेखक डॉ. मोतीराम कंगाली नागपूर द्वारा लिखीत गोंडगण समुदाय के लिऐ निरर्थक है यह सिद्ध होता है।

ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ - अखिल भारतिय गोंडी धर्म संसद व्दारा प्रकाशित इस किताब के लेखक गोंडराजे डॉ. बिरशहा कृष्णशहा आत्राम व्दारा गोंड गणोंके 47 उपशाखाओं का संपूर्ण भारत देश का दौरा कर अध्ययन कर संशोधन किया है और गोंड स्त्रीयों के सामाजिक दर्जेपर और आर्थीक अधिकार पर कानून बनाकर गोंडगण समूहों को सामाजिक न्याय और सन्मान मिलाकर दिया है। यह किताब कानूनी तौर पर अत्यंत योग्य होने के साथ गोंड और उनके 47 समाज के परिवारों के लिये फायदेमंद और निर्णायक मदतगार साबित होती है। इस किताब मे गोंड समाज की संस्कृती, संस्कार एंवम न्यायव्यवस्था, धर्म और धर्म के तत्वों को स्पष्ट रूप से गोंडी कायदों को अंतरभूत किया गया है। गोंडी समाज व्यवस्था कानून के तहत एकता (Unity), अखंडता (Entagrity) एंवम बंधुत्वता (Brotherhood) मे बांधकर इस भारत देश के मौलिक अधिकारों के साथ मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) रखने की खूबसूरत व्यवस्था लेखक ने की है। जो समाजिक तथा व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देकर गोंडगण समुदाय के स्त्रीयों को आदर्श स्थिती मे अधिकार प्रदान करता है।

संदर्भ सूची:

1) हॅमनड्राफ फ्यूरर ख्रिस्टोफ, गोंडस ऑफ अदिलाबाद
2) आत्राम गोडराजे डॉ. बिरशहा, ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ
3) कंगाली डॉ. मोतीराम, कोयापुनेम - गोडीधर्म दर्शन
4) इरपाते डॉ. विनायक, माडीया गोंड स्त्रीयांचा बदलता सामाजिक दर्जा (शोध प्रबंध-नागपूर)
5) तिवारी वी. के., भारत की जनजातियाँ, हिमालया पब्लिशिंग हाउस 1998
6) Elvin V., Gonds of Baster (1961)

■ ■ ■